



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27366-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 1994/2026

राम निवासयाची (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रत्यर्थी (गण)

याची (गण) के अधिवक्ता: प्रथमेश उपाध्याय, राजू सिंह

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता: अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. प्रारंभ में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इंगित किया है कि वर्तमान वाद में विवेचना के दौरान, भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) के अंतर्गत कुछ और धाराएं जोड़ी गई हैं।
3. याची के विद्वान अधिवक्ता उक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके और उन्होंने तर्क दिया कि वह रिट याचिका पर बल नहीं देना चाहते हैं और बेहतर विवरणों के साथ नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।
5. प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति नियमानुसार वापस कर दी जाए।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

के.एस.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"